



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28022026-270571
CG-MH-E-28022026-270571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 981]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 12 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 1025(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में "PH-53:- कुंभ मेला 2027 के लिए कस्बे सुकेने स्टेशन पर रैंप सहित 6 मीटर चौड़े 2 फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी, निफाड, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में विशेष रेल परियोजना "PH-53:- कुंभ मेला 2027 के लिए कस्बे सुकेने स्टेशन पर रैंप सहित 6 मीटर चौड़े 2 फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेन.	भूधारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
१	१२/२०२५	मौजे सुकेणे	निफाड	सिंधुबाई भास्कर मोगल, जगन्नाथ बाबुराव मोगल, पांडुरंग बाबुराव मोगल	४०	भोगवटदार वर्ग १	२.०६	०.०६
२				उषा अरुण मोगल, शशिकांत अरुण मोगल, सागर अरुण मोगल अ.पा.क. उषाबाई	४१	भोगवटदार वर्ग १	२.०२	०.२०
३				इतर अधिकार :- विकास कार्यकारी सोसायटी मौजे सुकेणे	४३	भोगवटदार वर्ग १	३.९७	०.०८
४				लताबाई बाळासाहेब मोगल, ज्ञानेश्वर बबन मंडलिक, दत्तू बबन मंडलिक, यमुनाबाई एकनाथ मंडलिक, अविनाश बाळासाहेब मोगल	४४	भोगवटदार वर्ग १	१.६६	०.४०
				उषा अरुण थोरात, चेअरमन विनायक सहकारी पाणी पुरवठा सोसायटी कसबे मौजे सुकेणे				
				इतर अधिकार :- विकास कार्यकारी सोसायटी मौजे सुकेणे				

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेन.	भूधारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
५				लीला रमेश कुयटे, संजय राजाराम हाडोळे, ज्ञानेश्वर राजाराम हाडोळे, लता विलास कुशारे इतर अधिकार :- विकास कार्यकारी सोसायटी मौजे सुकेणे, बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा भाऊसाहेब नगर	४६	भोगवटदार वर्ग १	१.६६	०.१०
				कुल			११.३७ (हे.आर.)	०.८४ (हे.आर.)

[फा. सं. G197/Nashik Kumbh 2027/Mauje Sukene Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता ,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th February, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1025(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “PH-53:- Provision of 2 Nos. 6 M wide Foot Over Bridge with ramp at Kasbe Sukene Station for Kumbh Mela 2027 at Dist. - Nashik” in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub divisional officer, Niphad, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project “**PH-53:- Provision of 2 Nos. 6 M wide Foot Over Bridge with ramp at Kasbe Sukene Station for Kumbh Mela 2027 at Dist. - Nashik**” in the State of Maharashtra.

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition area (Ha.)
1	12/2025	Mauje Sukene	Niphad	Sindhubai Bhaskar Mogal, Jagannath Baburao Mogal, Pandurang Baburao Mogal	40	Land Class 1	2.06	0.06
2				Usha Arun Mogal, Shashikant Arun Mogal, Sagar Arun Mogal A.P.K. Ushabai Other rights:- Vikas Karykari Seva Society Mauje Sukene	41	Land Class 1	2.02	0.20
3				Latabai Balasaheb Mogal, Dnyaneshwar Baban Mandlik, Dattu Baban Mandlik, Yamunabai Eknath Mandlik, Avinash Balasaheb Mogal	43	Land Class 1	3.97	0.08
4				Usha Arun Thorat, Chairman, Vinayak Cooperative Water Supply Society, Kasbe Sukene Other positions: Vikas Karykari Seva Society, Mauje Sukene	44	Land Class 1	1.66	0.40
5				Leela Ramesh Kuyate, Sanjay Rajaram Hadole,	46	Land Class 1	1.66	0.10

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition area (Ha.)
				Dnyaneshwar Rajaram Hadole, Lata Vilas Kushare Other authorities: Vikas Karykari Seva Society, Mauje Sukene, Bank Inspector and Special Recovery Officer, Nashik District Central Cooperative Bank, Bhausahab Nagar Branch				
				Total			11.37 (Ha.)	0.84 (Ha.)

[F. No. G197/Nashik Kumbh 2027/Mauje Sukene Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)